

15/04/20

पञ्जाबी पेश हुये आद्वारा प्रायः 2000 अविभाजित  
 अधिकारी उपस्थित लक्ष्य प्रकृत उभय पक्ष  
 सुनी गयी अविभाजित प्रायः के अस्तित्व वाहन  
 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते  
 हुए अज्ञात एवं सुपुर्ची पर, न्यायालय द्वारा  
 विहित शर्तों पर वाहन सं. RJ09 R3750 ट्रैक्टर  
 मय ड्रॉली को, वाहन स्वामी को सुपुर्च करने हेतु  
 निवेदन किया। अविभाजित अधिकारी का मुख्य कथन  
 यह रहा कि प्रायः अविभाजित द्वारा ट्रैक्टर के स्वामित्व  
 संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए लेकिन वाहन को शिलीप  
 करने पर पुनः कर्तव्य कार्यकार में काम लेने की  
 पूर्ण सम्भावना है। अतः अस्तित्व वाहन प्रायः को  
 सुपुर्च नहीं किया जावे प्रायः अविभाजित द्वारा दस्तावेजों  
 के आधार पर निवेदन किया कि अतः अस्तित्व  
 वाहन प्रायः का ही है तथा अविभाजित सपर,  
 बिम्बाहेडा ने भी अस्तित्व वाहन सं. RJ09 R3750  
 ट्रैक्टर की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना  
 बताया है प्रकृत उभय पक्ष की वाहन एवं प्रस्तुत  
 दस्तावेजों का आलोचना एवं मजबूत किया गया।  
 अपवह्य रिपोर्ट के निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि  
 अस्तित्व वाहन सं. RJ09 R 3750 ट्रैक्टर का स्वामित्व  
 प्रायः का है एवं अविभाजित, याना सपर, बिम्बाहेडा ने  
 भी अपने कथनों में अस्तित्व वाहन की अनुसंधान में  
 आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः अस्तित्व वाहन  
 RJ09 R 3750 ट्रैक्टर मय ड्रॉली को 2,00,000/-  
 अक्षरों की लागत रुपये के जमानतनामा एवं सुपुर्ची नाम  
 प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को खर्च जाने के  
 आदेश दिए जाते हैं।



(के.के. प्रसा)

कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
मिर्जापुर